पुलिस आदेश सं० 85 /2022

I. प्रायः यह देखा गया है कि कुछ अनुसंधान/जाँच पदाधिकारी अनुसंधान/जाँच के दौरान गवाहों और संदिग्धों को बुलाने में द0प्र0सं0 की धारा 41A, 91, 160 और 175 के तहत यथोचित नियमों का पालन नहीं करते हैं। द0प्र0स0 की ये धारायें अनुसंधान अधिकारी को यह अधिकार देती है कि वह उन व्यक्तियों से मौखिक पूछ–ताछ कर सकता है, जो उस मामले या घटना के तथ्यों एवं परिस्थितियों के बारे में जानकारी रखता हो।

द0प्र0सं0 धारा–41A, उन सभी मामलों में जहाँ व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, वैसे मामले में व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने हेतु नोटिस जारी करने का प्रावधान करता है। धारा 41A, द0प्र0स0 के तहत नोटिस के लिए एक प्रारूप अनुलग्नक "ए" के रूप में संलग्न है।

द0प्र0सं0 की धारा–91 पुलिस अधिकारी के समक्ष दस्तावेज या अन्य चीजें प्रस्तुत करने के लिए सम्मन जारी करने का अधिकार प्रदत करता है। इस धारा के अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिए एक प्रारूप अनुलग्नक "बी" के रूप में संलग्न है।

द0प्र0सं0 की धारा–160 और 175 के अनुसार अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान या जाँच में शामिल होने के लिए किसी व्यक्ति को जिस प्रायोजन से बुलाया गया है, लिखित रूप में एक आदेश जारी करेगा तथा उसकी एक प्रति उसे प्रदान करेगा, जिसमें व्यक्ति के बुलाये गये स्थान पर आने और जाने का तिथि एवं समय अंकित रहेगा। इस धारा के अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिए एक प्रारूप अनुलग्नक "सी" और "डी" के रूप में संलग्न है।

II. संदर्भित वैधानिक प्रावधानः–

द0प्र0स0 की धारा 41A, 91, 160 और 175 के प्रावधानों का उद्धरण निम्न हैः–

द0प्र0स0 की धारा–41 (पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की सूचना)

(1) पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में, जिनमें धार 41 की उपधारा(1) के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरूद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष यह ऐसे अन्य स्थान पर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय उपसंजात होने के लिये निदेश देते हुए सूचना (जारी करेगा)

(2) जहाँ ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है, वहाँ उस व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होगा की वह सूचना के निबंधनों का अनुपालन करे।

(3) जहाँ ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है वहाँ उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तबतक गिरफ्तार नहीं किया जायेगा जबतक लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो की उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए।

[(4) जहाँ ऐसा व्यक्ति, किसी भी समय सूचना के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल

रहता है, वहाँ पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसे, ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किये गये हों, सूचना में वर्णित अपराध के लिये गिरफ्तार करें।]

द0प्र0स0 की धारा–91 (दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिये समन)

(1) जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भार साधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषन, जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायलय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही हैं, किसी दस्तावेज या अन्य चीज का पेश किया जाना आवश्यक या वांछनीय है तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीज का होने का विश्वास है, उसके नाम ऐसा न्यायालय एक समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करें।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की ही अपेक्षा की गयी है। उसे पेश करने के लिये स्वयं हाजीर होने के वजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे तो यह समझाा जायेगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है।

(3) इस धारा की कोई बात –

(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 या बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 13) पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जायेगी, अथवा

(ख) डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नही समझी जायेगी।

द0प्र0स0 की धारा–160 (साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति)

(1) कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अन्दर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी दी गई इत्तिला से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षानुसार हाजिर होगा :

परन्तु किसी पुरूष से [जो 15 वर्ष से कम आयु का या 65 वर्ष से अधिक आयु का है या किसी स्त्री से या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति से] ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा पुरूष या स्त्री निवास करती है, भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(2) अपने निवास–स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उक्त धारा (1) के अधीन हाजिर होने के लिये प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चों का पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय कराने के लिये राज्य सरकार इस निमित बनाये गये नियमों द्वारा उपबन्ध कर सकती है।

द०प्र०स० की धारा–175 (व्यक्तियों को समन करने की शक्ति)

(1) धारा 174 द०प्र०सं० के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी यथापूर्वोक्त दो या अधिक व्यक्तियों को उक्त अन्वेषण के प्रयोजन से और किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है, लिखित आदेश द्वारा समन कर सकता है तथा ऐसे समन किया गया प्रत्येक व्यक्ति हाजिर होने के लिए और उन प्रश्नों के सिवाय, जिनके उत्तरों की प्रवृति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या समपहरण की आशंका में डालने की है, सब प्रश्नों का सही–सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा।

(2) यदि तथ्यों से ऐसा कोई संज्ञेय अपराध, जिसे धारा 170 लागू है, प्रकट नहीं होता है तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होने के अपेक्षा न करेगा।

III. नोटिस/आदेश जारी करने की प्रक्रिया:–

अनुसंधानकर्त्ता द्वारा कांडों के अनुसंधान के क्रम में धारा 41A के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना है:–

(i) पुलिस अधिकारी को अनिवार्य रूप से द०प्र०सं० के अध्याय–VI में निहित प्रावधानों की शर्तों के अनुसार धारा 41A द०प्र०सं० के तहत निर्धारित प्रारूप में नोटिस जारी करने की आवश्यकता है। धारा 41A द०प्र०सं० के तहत नोटिस का प्रारूप इसके पावती के साथ अनुलग्नक "ए" के रूप में संलग्न है।

(ii) संबंधित संदिग्ध या आरोपी व्यक्ति को धारा 41A द०प्र०सं० के तहत नोटिस की शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा तथा खुद के अपेक्षित समय और स्थान पर अपने आप को उपलब्ध कराना होगा।

(iii) यदि अभियुक्त या आरोपी किसी वैध और न्यायोचित कारण के लिए दिये गये समय पर खुद को उपलब्ध कराने में असमर्थ हो तो आरोपी को तुरंत लिखित रूप में जाँच अधिकारी को सूचित करना चाहिए और एक उचित अवधि के अन्दर वैकल्पिक समय की मांग करनी चाहिए जो साधारणतया सात कार्य अवधि से अधिक का न हो।

(iv) जब तक यह अनुसंधान के लिए हानिकारक न हो, पुलिस अधिकारी इस तरह के पुनर्निधारण की अनुमति दे सकता है। अनुसंधानकर्ता द्वारा उचित कारणों को कांड दैनिकी में अंकित किया जाना चाहिए। पुलिस अधिकारी को यह भी विश्वास होना चाहिए कि अनुसंधान में विलम्ब करने के लिए इस तरह के विस्तार की मांग नहीं की जा रही हो एवं संदिग्ध या आरोपी व्यक्ति समय की मांग कर टाल–मटोल न कर रहा हो। इसकी सूचना संबंधित थाना प्रभारी/पुलिस उपाधीक्षक को देनी चाहिए तथा ऐसे अनुरोधों को अस्वीकार करते हुये उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु सूचित करना चाहिए। पुलिस उपाधीक्षक/पर्यवेक्षी पदाधिकारी यह देखेंगे कि अनुसंधानकर्ता द्वारा दिया जाने वाला समय एवं तिथि उपयुक्त हो।

(v) धारा 41A द०प्र०सं० के तहत औपचारिक रूप से नोटिस प्राप्त करने पर एक संदिग्ध या आरोपी थाना में जाँच या पूछताछ के लिए संबंधित अधिकारी के सामने प्रस्तुत होकर उस अधिकारी से पावती के लिए अनुरोध कर सकता है।

(vi) यदि संदिग्ध या आरोपी को पुलिस थाने के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित

होने का निदेश दिया गया है(जैसा कि धारा 41A द0प्र0सं0 के तहत प्रावधानित है), तो संदिग्ध व्यक्ति स्वतंत्र गवाह यदि मौके पर उपलब्ध हो तो या संबंधित जाँच अधिकारी से प्रमाणित करा कर पावती रसीद प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(vii) पुलिस थाने के प्रभारी द्वारा जाँच अधिकारी को तीन प्रतियों की कार्बन कॉपी प्रारूप में क्रमांकित नोटिस वाली एक विधिवत अनुक्रमित पुस्तिका जारी की जानी चाहिए। नोटिस में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित विवरणी होनी चाहिएः–

(a) क्रमांक

(b) कांड सं0

(c) उपस्थिति की तिथि एवं समय

(d) अनुपालन में विफलता का परिणाम

(e) पावती की प्रति

(viii) अनुसंधान अधिकारी निम्न प्रक्रिया का अनुपालन करेंगेः–

(a) नोटिस की मूल प्रति संदिग्ध या आरोपी को तामिला करायेंगे।

(b) उसकी कार्बन कॉपी अनुसंधान अधिकारी द्वारा संबंधित कांड दैनिकी में रखनी चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर संबंधित दण्डााधिकारी को प्रस्तुत किया जा सके।

(C) उपयोग की गई पुस्तिकायें अनुसंधान अधिकारी द्वारा थाना प्रभारी के पास जमा की जानी चाहिए, जिसे थाना प्रभारी अनुसंधान पूरी होने तक या द0प्र0सं0 की धारा 173(2) के तहत अंतिम रिपोर्ट जमा करने तक इसे सुरक्षित रखेगा।

(d) पुलिस थाना ऐसी पुस्तिकाओं का समुचित रख–रखाव सुनिश्चित करेगा।

(ix) इस प्रक्रिया का अनुपालन कराने की जिम्मेवारी संबंधित पुलिस अधीक्षक / पुलिस उप–महानिरीक्षक / पुलिस महानिरीक्षक की होगी।

(x) द0प्र0सं0 की धारा 41A, 91, 160, और 175 के तहत निर्गत किये गये नोटिस का प्रारूप अनुलग्न–A, B, C एवं D के रूप में संलग्न है।

(xi) अनुलग्नक–E के अनुसार एक गैर–पीपीआर रजिस्टर प्रत्येक पुलिस थाने में ड्यूटी अधिकारी द्वारा वर्ष–वार रक्षित किया जायेगा, जिसमें जाँच अधिकारियों द्वारा जारी नोटिसों का प्रासंगिक विवरण होगा।

IV. **कर्तव्य का दायरा**

1. इस तरह के नोटिस जारी करते समय, संबंधित अनुसंधान अधिकारी को अपने–आप को आश्वस्त कर लेना चाहिए कि नोटिस में दिये गये तिथि एवं समय पर वह मौजूद रहेंगे। यदि किसी अप्रत्याशित परिस्थियों या कार्यालय मजबूरी के कारण वह मौजूद नहीं रह सके तो इस स्थिति में संबंधित थाना प्रभारी या पुलिस निरीक्षक उक्त नोटिस के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। यद्यपि ऐसी किसी गंभीर परिस्थिति में, जब उपरोक्त अधिकारियों में से कोई भी मौजूद नहीं रहे तो ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी नोटिसी की उपस्थिति दर्ज करते समय, प्राप्ति रसीद जारी करेगा और इस आशय की प्रविष्टि थाना दैनिकी में भी करेगा। ड्यूटी अधिकारी नोटिसी से सेल्फ अटेस्टेड आईडी प्रुफ की एक कॉपी भी लेगा एवं

इसकी सूचना अनुसंधान अधिकारी या थाना प्रभारी को देगा तथा थाना दैनिकी प्रविष्टि और सेल्फ अटेस्टेड आईडी प्रुफ की कॉपी अनुसंधान अधिकारी के आने पर उसे देगा।

2. अनुसंधान अधिकारी नोटिस द्वारा बुलाये गये व्यक्तियों की व्यक्तिगत सुरक्षा के संबंध में पूरी सावधानी बरतने के लिए जिम्मवार होंगे। उन्हें ऐसे गवाह या संदिग्ध द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने या खुद को कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाने की संभावना से बचाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो अनुसंधान अधिकारी द्वारा यह कार्य स्वागत कक्ष या पुलिस थाने के निचले कक्ष पर किया जाना चाहिए।

3. जब किसी महिला से पूछताछ करना हो या उसे द0प्र0सं0 की धारा 160 के तहत नोटिस दिया जाना हो तो अनुसंधान अधिकारी को यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि महिला को थाना नहीं बुलाया जाय। नोटिस में पूछताछ करने हेतु स्थान और समय का उल्लेख किया जाना चाहिए, जहाँ महिला से उनके परिवार के किसी सदस्य या महिला पुलिसकर्मी के समक्ष पूछताछ किया जाना है, परन्तु वह स्थान मूलतः महिला का निवास स्थान होना चाहिए ।

4. द0प्र0सं0 कि धारा 160 के अनुसार 15 वर्ष से कम या 65 वर्ष से अधिक आयु के किसी पुरूष व्यक्ति या महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को वह स्थान जिसमें ऐसा पुरूष या स्त्री जहाँ निवास करती हो को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार अठारह वर्ष से कम उम्र के पुरूष व्यक्ति से उसके निवास स्थान पर, उसके परिवार के किसी सदस्य, अभिभावक, योग्य व्यक्ति या किशोर कल्याण अधिकारी के समक्ष अधिनियम के अनुरूप पूछताछ कर सकता है।

5. दिशा–निर्देश (vii) और (viii) में उपरोक्त नुस्खे के समान प्रारूप प्रक्रिया पुस्तिकाएं(तीन प्रतियों में क्रमांकित नोटिस युक्त) नोटिस और पावती के लिए प्रपत्रों के वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप बनाये रखा जाएगा।

6 द0प्र0सं0 के प्रावधानों के अधिदेश और उपरोक्त प्रक्रिया का अनुपालन में अनुसंधान अधिकारी की विफलता उसे उसके खिलाफ सुसंगत नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए बाध्य कर देगा।

7. जनता को इस संबंध में जागरूक करने के लिए सार्वजनिक समर्थन के विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

8. यह पुलिस आदेश, झारखण्ड पुलिस की अधिकारिक वेबसाइट पर डाला जाएगा ताकि जनता को पालन की जाने वाली प्रक्रिया से अवगत कराये जाने के बारे में सुनिश्चित किया जा सके ।

9. जनता को उनके अधिकारों और उपलब्ध साधनों के बारे में सूचित करने हेतु उपरोक्त सूचना को पुलिस थानों, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्रदर्शित करते हुए जिला एवं विधिक सेवा प्राधिकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

10.द0प्र0सं0 की धारा 41A, 91, 160, और 175 का प्रभावी रूप से अनुपालन हेतु पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए।

V. अभिलेखों को सुरक्षित रखना / नष्ट करना

अनुसंधान अधिकारी द्वारा उपयोग की गई पुस्तिकायें, जिसे थाना प्रभारी के पास जमा किया गया है, को थाना प्रभारी अनुसंधान पूरा होने तक या द0प्र0सं0 की धारा 173(2) और 173(8) के तहत अंतिम रिपोर्ट जमा करने के तीन वर्ष बाद तक माननीय न्यायालय में विचारण हेतु इसकी आवश्यकता के लिए इसे सुरक्षित रखेगा। यदि अभिलेखों को निर्दिष्ट समय से अधिक समय तक सुरक्षित रखना हो तो इसपर संबंधित पुलिस अधीक्षक का सहमति लेना अनिवार्य होगा। किसी भी मामले में, ऐसे अभिलेखों के अंतिम निपटारा के लिए पुलिस अधीक्षक की सहमति ली जायेगी।

संबंधित पुलिस पदाधिकारी अपने कार्यक्षेत्र अन्तर्गत इस आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

नीरज सिन्हा

(नीरज सिन्हा)
महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 384 / एन0जी0ओ0
ए0 / 01-19-2022

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखण्ड,राँची।

राँची, दिनांक 22 / 11 / 2022

प्रतिलिपिः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय / अभियान, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग / विशेष शाखा / प्रोविजन झारखण्ड, राँची को आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, द0छो0क्षेत्र, राँची / कोयला क्षेत्र, बोकारो को अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित।
4. सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक(रेल सहित), झारखण्ड को अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित।
5. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, सभी पुलिस अधीक्षक (रेल सहित) झारखण्ड को अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक, ए0टी0एस0 झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, डाटा सेन्टर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

नीरज सिन्हा

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची

परिशिष्ट–"ए"

क्र0सं0.....................   थाना................................

सेवा में,

....

(अभियुक्त/नोटिसी का नाम)

....

(अंतिम ज्ञात पता)

....

(फोन न0/ईमेल आईडी)

द0प्र0सं0 की धारा–41A, के तहत नोटिस।

द0प्र0सं0 की धारा–41A की उप–धारा(1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि ....थाना, कांड स0–.........................., दिनांक............................ धारा.................................... के अनुसंधान के दौरान यह पता चला कि इस कांड में तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने हेतु आपसे पूछताछ किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पूछताछ हेतु आप दिनांक.................... को समय ....बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में ....थाना पर मेरे समक्ष उपस्थित हों।

अनुपालन हेतु आपको निम्नलिखित सभी और/या निदेश दिये जाते हैं:–

(क) आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।
(ख) इस कांड के किसी भी साक्ष्य के साथ कोई छेड़–छाड़ नहीं करेंगे।
(ग) कांड के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई धमकी, प्रलोभन या वादा नहीं करें ताकि उसे अदालत या पुलिस अधिकारी को तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।
(घ) जब भी आदेशित हो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।
(च) आवश्यकता पड़ने पर अनुसंधान में सहयोग प्रदान करेंगे।
(छ) कांड के अनुसंधान को सही निष्कर्ष तक पहुंचाने हेतु अनुसंधान के उद्देश्य से कुछ भी छुपाये बिना सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेंगे।
(ज) अनुसंधान के उद्देश्य हेतु आवश्यक सभी प्रासंगिक दस्तावेज/सामग्री प्रस्तुत करेंगे।
(झ) कांड में शामिल अपने साथी को पकड़वाने में आप भरपूर सहायता करेंगे।
(ट) कांड के अनुसंधान के उद्देश्य से प्रासंगिक किसी भी सबूत को नष्ट करने हेतु किसी भी तरह से अनुमति नहीं देंगे।
(ठ) कोई और शर्तें जिसे अनुसंधान अधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा लगाया जा सकता है।

इस नोटिस में दिये गये शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने पर आप द0प्र0सं0 की धारा–41A(3) और (4) के तहत गिरफ्तारी हेतु उत्तरदायी होंगे।

(हस्ताक्षर)..

(नाम और पदनाम)..

(सील चिपकाएं)..

क्रमांक..

पावती

दिनांक.................... को द0प्र0सं0 की धारा–41A के तहत निर्गत नोटिस के अनुपालन में नोटिसी दिनांक. ....को समय.......................से.......................तक उपस्थित हुये। नोटिसी की उपस्थिति की प्रविष्टि थाना में धारित अभिलेख पंजी में की गई है।

यह पावती द0प्र0सं0 की धारा–41A के अनुपालन में जारी की जा रही है। नोटिसी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज विधिवत जप्ती–सूची बनाकर जप्त किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।

नोटिसी किसी भी अन्य नोटिस का पालन करना जारी रखने का वचन देता है, जो उसे वर्तमान अनुसंधान के दौरान प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त / नोटिसी का हस्ताक्षर).................................... (अनुसंधानकर्ता का हस्ताक्षर)....................................

परिशिष्ट–"बी"

क्र0सं0.............. थाना.......................................

सेवा में,

....

(अभियुक्त / नोटिसी का नाम)

....

(अंतिम ज्ञात पता)

....

(फोन न0 / ईमेल आईडी)

द0प्र0सं0 की धारा–91, के तहत नोटिस।

मुझे यह प्रतीत होता है कि ....थाना, कांड स0............................., दिनांक..................... धारा.............................. के अनुसंधान में निम्नलिखित दस्तावेजों / वस्तुओं का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अतः निम्न दस्तावेजों को अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक.....................को समय.....................बजे पूर्वाहन् / अपराहन् स्थान...में प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है।

दस्तावेज की विवरणी

1................

2................

3...............

4.................

इस नोटिस में दिये गये शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने पर आपके विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 175 के तहत कार्रवाई हेतु आप खुद उत्तरदायी होंगे।

BS

(हस्ताक्षर)..

(नाम और पदनाम)..

(सील चिपकाएं)...

क्रमांक...

पावती

दिनांक.................... को द0प्र0सं0 की धारा–91 के तहत निर्गत नोटिस के अनुपालन में नोटिसी दिनांक..... ....को समय......................से......................तक उपस्थित हुये। नोटिसी की उपस्थिति की प्रविष्टि थाना में धारित अभिलेख पंजी में की गई है।

यह पावती द0प्र0सं0 की धारा–91 के अनुपालन में जारी की जा रही है। नोटिसी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज विधिवत जप्ती–सूची बनाकर जप्त किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।

नोटिसी किसी भी अन्य नोटिस का पालन करना जारी रखने का वचन देता है, जो उसे वर्तमान अनुसंधान के दौरान प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त / नोटिसी का हस्ताक्षर)............................ (अनुसंधानकर्ता का हस्ताक्षर)....................................

परिशिष्ट–"सी"

क्र0सं0................................ थाना................................

सेवा में,

....

(अभियुक्त / नोटिसी का नाम)

....

(अंतिम ज्ञात पता)

....

(फोन न0 / ईमेल आईडी)

द0प्र0सं0 की धारा–160, के तहत नोटिस

द0प्र0सं0 की धारा–160 की उप–धारा(1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि ....थाना, कांड स0......................, दिनांक.............................धारा............. .... के अनुसंधान के दौरान यह पता चला कि इस कांड में तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने हेतु आपसे पूछताछ किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पूछताछ हेतु आप दिनांक....................... को समय ....बजे पूर्वाह्न / अपराह्न में ....थाना पर मेरे समक्ष उपस्थित हों।

अनुपालन हेतु आपको निम्नलिखित सभी और / या निदेश दिये जाते हैं:–

(क) जब भी आदेशित हो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।
(ख) आवश्यकता पड़ने पर अनुसंधान में सहयोग प्रदान करेंगे।
(ग) कांड के अनुसंधान को सही निष्कर्ष तक पहुंचाने हेतु अनुसंधान के उद्देश्य से कुछ भी छुपाये बिना सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेंगे।
(घ) अनुसंधान के उद्देश्य हेतु आवश्यक सभी प्रासंगिक दस्तावेज / सामग्री प्रस्तुत करेंगे।
(च) कांड में शामिल अपने साथी को पकड़वाने में आप भरपूर सहायता करेंगे।
(छ) कांड के अनुसंधान / सुनवाई के दौरान प्रासंगिक किसी भी सबूत को नष्ट करने हेतु किसी भी तरह से अनुमति नहीं देंगे।
(ज) कोई और शर्तें जिसे अनुसंधान अधिकारी / थाना प्रभारी द्वारा लगाया जा सकता है।

इस नोटिस में दिये गये शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने पर आपके विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 174 के तहत कार्रवाई हेतु आप खुद उत्तरदायी होंगे।

(हस्ताक्षर)..............................

(नाम और पदनाम)...............

(सील चिपकाएं)....................

क्रमांक...

<u>पावती</u>

दिनांक.................... को द0प्र0सं0 की धारा–160 के तहत निर्गत नोटिस के अनुपालन में नोटिसी दिनांक....................को समय.................से..................तक उपस्थित हुये। नोटिसी की उपस्थिति की प्रविष्टि थाना में धारित अभिलेख पंजी में की गई है।

यह पावती द0प्र0सं0 की धारा–160 के अनुपालन में जारी की जा रही है। नोटिसी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज विधिवत जप्ती–सूची बनाकर जप्त किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।

नोटिसी किसी भी अन्य नोटिस का पालन करना जारी रखने का वचन देता है, जो उसे वर्तमान अनुसंधान के दौरान प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त / नोटिसी का हस्ताक्षर)................................ (अनुसंधानकर्ता का हस्ताक्षर)..................................

As

परिशिष्ट–"डी"

क्र0सं0.............. थाना................................

सेवा में,

....

(अभियुक्त/नोटिसी का नाम)

....

(अंतिम ज्ञात पता)

....

(फोन न0/ईमेल आईडी)

द0प्र0सं0 की धारा–175, के तहत नोटिस

चूँकि ....थाना, कांड स0/सनहा सं0................................., दिनांक......................धारा......... .... के अपराध में दर्ज किये गये कांड के जाँच के उद्देश्य से उक्त व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक है। अतः उक्त व्यक्ति को इस अपराध से संबंधित जानकारी के साथ अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक....................को समय..........................बजे पूर्वाह्न/अपराह्न स्थान...............................में उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है।

इस नोटिस में दिये गये शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने पर आपके विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 174 के तहत कार्रवाई हेतु आप खुद उत्तरदायी होंगे।

(हस्ताक्षर)....................................

(नाम और पदनाम)...................

(सील चिपकाएं)........................

क्रमांक...

पावती

दिनांक........................ को द0प्र0सं0 की धारा–175 के तहत निर्गत नोटिस के अनुपालन में नोटिसी दिनांक.......................................को समय..........................से.........................तक उपस्थित हुये। नोटिसी की उपस्थिति की प्रविष्टि थाना में धारित अभिलेख पंजी में की गई है।

यह पावती द0प्र0सं0 की धारा–175 के अनुपालन में जारी की जा रही है।

नोटिसी किसी भी अन्य नोटिस का पालन करना जारी रखने का वचन देता है, जो उसे वर्तमान अनुसंधान के दौरान प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त/नोटिसी का हस्ताक्षर).. (अनुसंधानकर्ता का हस्ताक्षर)................................